न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
91/प्रा0पत्र/15	29.07.2015	10.03.2021

1. नन्दलाल
2. ग्यारसीलाल
3. प्रकाश
4. राजेन्द्र

पुत्र घांसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ब्राह्मणों की झौपडियां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

–प्रार्थी

बनाम

1. सुखदेव आ0 भवानी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ब्राह्मणों की झौपडियां हाल तैनात कांस्टेबल नंबर 420 लाईन पुलिस, बून्दी।
2. कमलेश आ0 भवानी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ब्राह्मणों की झौपडियां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रूपाबाई विधवा भवानी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ब्राह्मणों की झौपडियां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. गीता पुत्री भवानी शंकर पत्नि कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मनभर पुत्री भवानी शंकर पत्नि नन्दलाल जाति ब्राह्मण हाल तैनात कर्मचारी वाटर वर्क्स, के0पाटन जिला बून्दी।
6. रामधणी पुत्री भवानी शंकर पत्नि बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बावडी के पास, छत्रपुरा, बून्दी।
7. अनिता पुत्री भवानी शंकर पत्नि महावीर जाति ब्राह्मण निवासी महादेव के मंदिर के पास, गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी।
8. किरण पुत्र भवानी शंकर पत्नि हनुमान जाति ब्राह्मण निवासी महादेव के मंदिर के पास, गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी।
9. रेखा पुत्र भवानी शंकर पत्नि हनुमान जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवा, जिला बून्दी।
10. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अध्यक्ष आवंटन परामर्शदात्री समिति, हिण्डोली जिला बून्दी।
11. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री कैलाशचन्द गुप्ता एड0
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल एड0

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के पिता भवानी शंकर आ0 जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडियां को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 97 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडियां तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1989 से की गई थी जो वर्तमान में आवंटी भवानी शंकर के वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज है को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने दोराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के पिता घांसीलाल एंव अप्रार्थीगण के पिता भवानी शंकर सगे भाई थे। स्वर्गीय घांसीलाल एवं भवानी शंकर के पिता जगन्नाथ जी के जीवन काल में ही कृषि भूमि खसरा संख्या 97 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा स्वर्गीय घांसीलाल जी एंव भवानी शंकर जी ने अपने पिता के साथ रहते हुए पड़त से पाड़कर आबाद की थी। तब से ही प्रार्थीगण के पिता घांसीलाल जी निरन्तर इस भूमि पर काश्त करते चले आ रहे थे। विवादित भूमि खसरा संख्या 97 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा को बिना अप्रार्थीगण के पिता की जानकारी के दिनांक 25.05.1989 को केम्प ग्राम टोकडा में भवानी शंकर आ0 जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडियां ने आवंटित करवा ली। उक्त आवंटन भवानी शंकर जी ने तथ्यों को छुपाकर असत्य तथ्य प्रकट करते हुए करवाया है जो निरस्त होने योग्य है। आवंटन के पश्चात भवानी शंकर एवं अप्रार्थीगण ने सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया है और न ही काश्त की है। इस कारण आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से भी आवंटन निरस्त होने योग्य है। बिना आवंटन की शर्तो की पालना के अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया गया है जो भी अवैध है। आवंटित कृषि भूमि ग्राम ब्राह्मण की झौपडियां में स्थित है जबकि आवंटन ग्राम टोंकडा में किया गया है। आवंटन परामर्शदात्री समिति आवंटन से पूर्व आवंटन योग्य भूमि की उद्घोषणा जारी नहीं की है और भूमिहीन व्यक्तियों की सूची भी तैयार नहीं की है। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के पिता एंव प्रार्थीगण का नियमन का अधिकार निर्णित किये बिना ही भवानी शंकर के नाम विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया है जो सर्वथा अवैध है। प्रार्थीगण की तरफ से फर्द दस्तावेज के साथ खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 से 2047 तक वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडियां तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017, सम्वत् 2018 से 2020 वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडियां एवं सम्वत् 2022 से 2025 पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 448, आरआरडी 1987 पेज 144, 54, आरबीजे 2006 पेज 749, आरबीजे 1998 पेज 554 एवं डीएनजे 2020 (रेवेन्यू) पेज 141 की नजीरे पेश करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1989 निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि विवादित भूमि पर कभी भी प्रार्थीगण के पिता का कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय भवानी शंकर जी काश्त करते चले आ रहे है। आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा पूर्ण कोरम में दिनांक 25.05.1989 को केम्प ग्राम टोकडा में आवंटन की पात्रता रखने पर भूमि का आवंटन नियमानुसार किया जाकर कब्जा संभलाया गया था जिसका प्रार्थीगण व उनके पिता को

अतिरिक्त जिला कलक्टर

...। इसी कारण उनके जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की। अप्रार्थीगण उक्त ... खातेदार काश्तगार है। खातेदारी अधिकार मिलने के उपरान्त आवंटन कानूनन ...त नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाये गये है। ...वंटन के 26 वर्ष पश्चात निरस्त की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 695, 441, आरआरडी 1998 पेज 445, एआईआर 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1128 की नजीरे प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से विवादित भूमि खसरा संख्या 97 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय भवानी शंकर आ0 जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडियां को दिनांक 25.05.1989 किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश को इस आधार पर खारिज करने हेतु निवेदन किया है कि विवादित भूमि पर उनके पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता का कब्जा आवंटन से पूर्व ही रहा है। साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि प्रार्थीगण के नियमन के अधिकार को तय किये बिना आवंटन आदेश किया है जो अवैध है। हस्तगत प्रकरण में बवक्त आवंटन प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि को नियमन अथवा आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि उनके नियमन के अधिकार को तय नहीं किया गया हो। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थीगण के पिता द्वारा कौनसा तथ्य छुपाकर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है तथा आवंटन की किन शर्तों की पालना नहीं की गई है। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.09.2015 में किसी भी ग्रामवासियान के हस्ताक्षर नहीं है जिससे रिपोर्ट प्रथमदृष्टया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, दूसरी ओर अप्रार्थीगण द्वारा फर्द दस्तावेज सूची के साथ पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.07.2015 प्रस्तुत की है जिसमें अंकित किया है कि खसरा सख्या 97 के खातेदारान को मुस्तकिल बिन्दु से खेत के चारो ओर जमीन को नापकर बताया गया, जरीब चलाकर भूमि का सीमाज्ञान कर आराजी खातेदार को बताया गया। उक्त रिपोर्ट में ग्राम वासियान के हस्ताक्षर अंकित है। आवंटन के लगभग 26 वर्ष पश्चात आवंटन खारिज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पोषनीय नहीं है। वर्तमान में अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो चुके है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्रा सारहीन होने से खारिज किया जाकर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1989 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के वापस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)